न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट, कोटपूतली बहरोड़

पीठासीन अधिकारी कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या...19/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा परिसंपति वसूली प्रबंधन शाखा बी–2 बाईपास मानसरोवर जयपुर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री उमेश कुमार।

............**प्रार्थी बैंक/सिक्योर क्रेडियर**

बनाम

1. गोविन्द कुमार मीना पुत्र रूड़ा राम निवासी ग्राम व पोस्ट करोदा बहरोड़ 301020
2. अनिल कुमार मीना निवासी ग्राम व पोस्ट करोदा बहरोड़ 301020

............**अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी)**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –14 रिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट ऐक्ट – 2002, जिसे एतद पश्चात एक्ट से नाम से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थितः–बने सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांक 16.04.2024**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी एक बैंकिंग वित्तिय संस्थान हैं, जो रिजर्व कम्पनी ऑफ इण्डिया एवं नेशनल हाउसिंग बोर्ड के नियमों के अर्न्तगत सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत कार्यवाहियां करने के लिए अधिकृत हैं। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत एवं उदबोधित किया गया हैं। प्रार्थी कम्पनी की तरफ से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता **उमेश कुमार** को न्यायालय एवं अर्द्ध–न्यायालय, सरकारी एवं गैर सरकारी में समस्त विधिक कार्यवाहियॉ करने के लिए जरिये बोर्ड प्रस्ताव से अधिकृत किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा ऋणी से धारा 13(2) के तहत मांगी गई राशि में 24,81,713.40/– (अक्षरे चौबीस लाख इक्यासी हजार सात सौ तैरह रूपये चालीस पैसे मात्र) जो कि खाता सख्या 268330100000803, 268330100000849 अप्रार्थी/ऋणी ने उक्त अचल सम्पत्ति रिहायशी लैंड एवं बिल्डिंग पट्टा नं0 07, गांव कारोड़ा, तहसील बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान 301020, कुल एरिया 265.00 वर्ग गज गोविन्द कुमार मीना पुत्र रूडा राम के नाम पर बंधक किया गया था। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को नियमानुसार ऋण भुगतान ना करने पर कम्पनी/बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया था। उक्त ऋण खाता को एन.पी.ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी कम्पनी/बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थी एवं सहऋणी को दिनांक 30.09.2023 एवं रजि0 दिनांक 03.10.2023 के रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये, अप्रार्थीगण को प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया उक्त नोटिस की जानकारी अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पते पर हो चुकी थी। परन्तु अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी/बैंक ने दो स्थानीय अखबार बिजिनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) एवं दैनिक पंजाब केसरी (हिन्दी) संस्करण में 13 (2) सरफेसी अधिनियम 2002 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक 27.12.2023 को करवाया जो कि अप्रार्थीगण को उक्त प्रकाशन से प्राप्त हो जाने पर भी अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई एवं ना ही बन्धकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया, जिस पर बन्धक सम्पत्ति का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कम्पनी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि लोन खाता संख्या 268330100000803, 268330100000849 में 24,81,713.40/– (अक्षरे चौबीस लाख इक्यासी हजार सात सौ तैरह रूपये चालीस पैसे मात्र) दिनांक 31.08..2023 तक ब्याज शामिल करतें हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्ये खर्चे पृथक से जमा कराना हैं, परन्तु ऋणी एवं सहऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (कम्पनी / बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी कम्पनी / बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी / सह-ऋणी से प्रार्थी कम्पनी को दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को ऋण खाता संख्या 268330100000803, 268330100000849 में 24,81,713.40 / - (अक्षरे चौबीस लाख इक्यासी हजार सात सौ तैरह रूपये चालीस पैसे मात्र) को स्वीकृत कर ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल रूपये 24,81,713.40 / - (अक्षरे चौबीस लाख इक्यासी हजार सात सौ तैरह रूपये चालीस पैसे मात्र) जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.09.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4 अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी गोविन्द कुमार मीना पुत्र रूड़ा राम निवासी ग्राम व पोस्ट कारोड़ा बहरोड 301020 के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति रिहायशी लैंड एवं बिल्डिंग पट्टा नं0 07, गांव कारोड़ा, तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान 301020, कुल एरिया 265.00 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5 आदेश की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

6 आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7 आदेश आज दिनांक **16.04.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली-बहरोड